बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या व.सं. / 105 / 2022– 870

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 19/11/2024

विषय – भारतमाला परियोजना के तहत पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–आशानी (0.00–34.800 कि०मी०) (रिंग रोड़) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि भारतमाला परियोजना के तहत पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–आशानी (0.00–34.800 कि०मी०) (रिंग रोड़) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना का प्रस्ताव जाँचोपरान्त वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) दिनांक 16.02.1994 द्वारा ''सुरक्षित वन'' के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कुल 1.964 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 424 वृक्षों के प्रभावित होने की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर तथा वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा किया गया है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	Tranlocate हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	पत्तन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या
1	पटना	0.978	100	90
2	भोजपुर	0.986	154	80
	कुल	**1.964**	**254**	**170**

3. परियोजना निर्माण के क्रम में भोजपुर वन प्रमंडल से संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में क्षेत्रीय सक्षम समिति द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न है एवं पटना वन प्रमंडल से संबंधित वृक्ष सुरक्षा योजना क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित क्षेत्रीय सक्षम समिति से अनुमोदित करा कर अलग से भेजी जायेगी।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर द्वारा भाग–II कि प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अंकित किया गया है एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है।

5. अपयोजित होने वाली वन भूमि के पथांशों को दर्शाते हुए मूल टोपो शीट नक्शा Geo-referenced नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के साथ उपलब्ध कराने संबंधित दिशा-निर्देश निर्गत की गयी है। तदआलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित किया जा रहा है।

7. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 1.964 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 3.928 हे0 अर्थात् 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि नवादा वन प्रमंडल अन्तर्गत रजौली वन प्रक्षेत्र के पड़रिया (RF) को चिन्हित कर दस वर्षीय वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार किया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता एजेंसी, वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा ऑन लाईन किये गये अनुशंसा की Downloads प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

9. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 1.964 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 12.28590 लाख प्रति हे० के दर से रू० 24,12,951/- (रूपये चौबीस लाख बारह हजार नौ सौ एकावन) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 1.964 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये 4.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि रजौली वन प्रक्षेत्र के पड़रिया (RF) में चिन्हित करते हुए रू० 24,62,511/- (रूपये चौबीस लाख बासठ हजार पाँच सौ ग्यारह) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। संलग्न प्राक्कलन के आलोक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अद्यतन मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1648/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- व.सं./105/2022-870 दिनांक- 19/11/2024

प्रतिलिपि - परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना/भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/11/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

भारतमाला परियोजना के तहत पटना एवं भोजपुर पटना जिलान्तर्गत आरा–सासाराम पथांश सदिशोपुर–आशानी (0.00–34.800 कि०मी०) (रिंग रोड़) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.964 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव का चेक लिस्ट–

क्र० सं०	विवरणी	अभ्युक्ति
1	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I	संलग्न।
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking	संलग्न।
3	प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा	संलग्न।
4	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वन भूमि का जियों रेफेरेन्स मैप	संलग्न।
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II	संलग्न।
6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना एवं भोजपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन	संलग्न।
7	परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि की गणना विवरणी।	संलग्न।
8	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा उपलब्ध करायी गयी क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन।	संलग्न।
9	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा द्वारा स्थल क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्त है से संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न।
10	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III	संलग्न।
11	नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV	संलग्न।

19/11/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

PART-IV

(To be filled in by Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

In the Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from KM 0.00-34.800 (Ring Road) under Bharatmala Pariyojanj in Patna and Bhojpur district involving the use and diversion of aggregate area of 1.964 ha of forest land notified as "Protected Forest" being the tree plantations along the above above mentioned roads in Patna and Bhojpur districts and Patna and Bhojpur forest division is essential requirement for rehabilitation and upgrading to Construction of 4/6 Laning of Arrah-Sasaram-Patna road section of NH-119A from KM 0.00-34.800 (Ring Road) under Bharatmala Pariyojanj in Patna and Bhojpur district is justified in that context.

Therefore the proposed diversion of the 1.964 ha of forest lands under reference is recommended with the stipulations and conditions mentioned in the forwarding letter.

Date : 18.11.2024
Place : Patna

Signature 19/11/24
Name & Designation – Arvinder Singh
APCCF (CAMPA)-cum-Nodal Officer (FC)
(Official Seal)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना